

डिक्री मूल वाद पत्र
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :-अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 195/2024

प्रगटसिंह पुत्र गुरचरणसिंह, जाति जटसिख, सकिन वार्ड नं.2 पीलीबंगा गांव चक 2 एनआर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

—वादी

—:बनाम:-

1. गुरचरणसिंह पुत्र सन्तासिंह, जाति जटसिख, सकिन वार्ड नं.2 पीलीबंगा गांव चक 2 एनआर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
2. कुलविन्द्रकौर पत्नी शाम्बरसिंह पुत्री गुरचरणसिंह, जाति जटसिख, सकिन वार्ड नं. 2 पीलीबंगा गांव चक 2 एनआर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी सुन्दरसिंहवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
3. अमनदीपकौर पत्नी महतावसिंह पुत्री जसपालसिंह, जाति जटसिख, सकिन वार्ड नं. 2 पीलीबंगा गांव चक 2 एनआर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, हाल निवासी 22 चक फतेहगढ़(सहजीपुरा), तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. रमनदीपकौर पत्नी तरसेमसिंह पुत्री जसपालसिंह, जाति जटसिख, सकिन वार्ड नं. 2 पीलीबंगा गांव चक 2 एनआर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. जोतवीरकौर पत्नी प्रविन्द्रसिंह पुत्री जसपालसिंह, जाति जटसिख, सकिन वार्ड नं. 2 पीलीबंगा गांव चक 2 एनआर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. आकाशदीपसिंह पुत्र जसपालसिंह, जाति जटसिख, सकिन वार्ड नं. 2 पीलीबंगा गांव चक 2 एनआर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
8. अमृतपाल कौर पत्नी जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड 01 पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा

— प्रतिवादीगण


दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

—:निर्णय:-

वादी की ओर से श्री सुनील सहू अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 व 8 की ओर से श्री हनुमान भादू अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में निम्नानुसार घोषणा की जाती है:-

वादी/प्रथम पक्ष प्रगट सिंह को प्राप्त कृषि भूमि-

चक 4 एनएसडब्ल्यू (बी) के प.नं. 46/336 (2) के किला नं. 11/2/0.202, 12 ता 15, 0.013, 17/1/0.240, 18, 19, 20/3/0.191, 22/3/0.038, 23/2/0.139, 24/2/0.215, 25/2/0.013 व प.नं. 47/337 (5) के किला नं. 5/0.126, 6/2/0.127 की कुल 2.8220 हेक्टर कमाण्ड कृषि भूमि में से 1.6635 हेक्टर कमाण्ड कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।



सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रतिवादी सं. 6/द्वितीय पक्ष आकाशदीप सिंह को प्राप्त कृषि भूमि-

चक 4 एनएसडब्ल्यू (बी) के प.नं. 46/336(2) के किला नं. 11/2/0.202, 12 ता 15, 16/2/0.013, 17/1/0.240, 18, 19, 20/3/0.191, 22/3/0.038, 23/2/0.139, 24/2/0.215, 25/2/0.013 व प.नं. 47/337 (5) के किला नं. 5/0.126, 6/2/0.127 की कुल 2.8220 हैक्ट. कमाण्ड कृषि भूमि में से 1.1585 हैक्ट.कमाण्ड कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड़ पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 08/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा